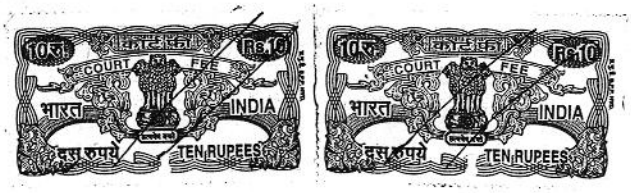

न्यायालय– श्रीमान राजस्व मण्डल ग्यवालियर मध्य प्रदेश
प्रकरण कमां / 2015 निगरानी निग / 3812-III-15

रणछोडलाल पिता गणपतजी आयु– 58 वर्ष
जाति–' कुम्हार धंधा– कृषि
निवासी–ग्राम असावता तह0 बडनगर जिला उज्जैन

............आवेदक

विरूध्द

बाबुलाल पिता रामचन्द्र
जाति– कुम्हार धंधा– कृषि
निवासी–ग्राम असावता तह0 बडनगर

..............अनावेदक

पुर्नरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भु. रा. सं. न्यायालय–तहसीलदार महोदय तह0 बडगनर के पिठासीन अधिकारी बडनगर द्वारा प्रकरण कमांक 8 अ 70/2009–2010 मे पारित आदेश दिनॉक– 6 /10/2015 से क्षुब्ध होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की और से आवेदन पत्र निम्नलिखित सविनय प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

ग्राम असावता तह0 बडनगर जिला उज्जैन में एक भुमि खाता आवेदक व रामचन्द्र जो की आवेदक के भाई है। दोनोंकीही संयुक्त संपत्ति ग्राम असावता मे है आवेदक के भाई रामचन्द्र जो कि बडे है उनके पुत्र अनावेदक बाबुलाल शामील रहते दौरान भुमि वादग्रस्त कय की गई थी लेकिन अनावेदक के पिता ने अनावेदक के नाम करा दी थी आवेदक व रामचन्द्र के मध्य आपसी भामी बटवारा हुआ जिसमे वादग्रस्त भुमि सर्वे नं. 602 रकबा 0.90 आरे अन्य भुमि के साथ आवेदक के हिस्से व कब्जे मे प्राप्त हुई जिस पर आवेदक बहैसियत मालिक नाते काबिज चला आ रहा है ।

निरन्तर.....02पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3812–तीन/2015 जिला उज्जैन

रणछोडलाल विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-12–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बडनगर के अंतरिम आदेश दिनांक 06–10–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा तहसीलदार ने आवेदक का अतिकमण प्रकरण के अंतिम निराकरण तक हटाने के आदेश दिये दिये हैं। आवेदक ने तर्क में यह बताया कि प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु चल रहा था परन्तु अंतरिम रूप से कब्जा आवेदक को दिये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दे दिये। अनावेदक द्वारा सीमांकन पश्चात कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार ने धारा 32 के आवेदन पर प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम रूप से कब्जा सौपने का आदेश दिया है, जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक आवेदक अभिभाषक के साक्ष्य प्रस्तुत करने संबंधी तर्क का प्रश्न है प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात प्रकरण के गुण–दोष पर 6 माह में आदेश पारित करें। इसी निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

18 December 2015